

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम-1971 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता कुमावत, व्याख्याता भूगोल राउमावि, गोगुन्दा उदयपुर को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) उदयपुर की अभिशषा एवं आवेदन पत्र के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एम0एड0 सत्र 2019-20 में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

01. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा रवंय वहन किया जावेगा।
02. डिग्री यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चिता की जिम्मेदारी कार्मिक स्वयं की होगी।
03. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।




(नथमल डिडेल)  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/एमएड स्वीकृति/2017-19 दिनांक-07/10/19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संबंधित सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक)।
- 3 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 3 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि गोगुन्दा, उदयपुर को तत्काल पालनार्थ
- 4 संबंधित कार्मिक राउमावि गोगुन्दा उदयपुर।
- 5 निजी/रक्षित।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर